राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना—800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या—13 (लो0सू0अ0) / 2022—23

श्री राजेश कुमार, पिता—विशेश्वर यादव, सा॰—बघला, पोस्ट—बभनगामा, वार्ड नं॰—10, थाना—त्रिवेणीगंज, जिला—सुपौल, पिन—852139

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी,बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
19.05.2022	श्री राजेश कुमार, पिता—विशेश्वर यादव, सा॰—बघला, पोस्ट—बभनगामा, वार्ड नं॰—10, थाना—त्रिवेणीगंज, जिला—सुपौल, पिन—852139 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक—13.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक—17.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या—54F 159310 दिनांक—अस्पष्ट की छायाप्रति संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री राजेश कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक—31.03.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी—सह—(विभाग / कार्यालय), बिहार सरकार को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार—सह—महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। विदित हो कि कोई भी विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विभाग के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय में। प्राप्त आवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी ने बिहार सरकार के किस विभाग के समक्ष आवेदन दिया था। साथ ही बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम—3 (परिशिष्ट—1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10 / — (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सभी संबंधित को सूचित करें । 19/5/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** —सह— **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–13 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री राजेश कुमार, पिता–विशेश्वर यादव, सा॰–बघला, पोस्ट–बभनगामा, वार्ड नं॰–10, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल, पिन–852139

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी,बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
19.05.2022	श्री राजेश कुमार, पिता–विशेश्वर यादव, सा॰–बघला, पोस्ट–बभनगामा, वार्ड नं॰–10, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल, पिन–852139 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–13.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक–17.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–54F 159310 दिनांक–अस्पष्ट की छायाप्रति संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री राजेश कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–31.03.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–(विभाग/कार्यालय), बिहार सरकार को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। विदित हो कि कोई भी विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विभाग के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय में। प्राप्त आवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी ने बिहार सरकार के किस विभाग के समक्ष आवेदन दिया था। साथ ही बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सभी संबंधित को सूचित करें । 19/5/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार ज्ञापांक– 633/रा0स0(iii) दिनांक– 23-05-2022 **प्रतिलिपिः– श्री राजेश कुमार, पिता–विशेश्वर यादव, सा॰–बघला, पोस्ट–बभनगामा, वार्ड नं॰–10, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल, पिन–852139 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।** 19/5/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी**	

O/C